13 दिसम्बर, 2017

पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध: कमज़ोर होता जा रहा है नागरिक नेतृत्व

*डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी**

पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्था ने एक बार फिर स्वयं को धार्मिक समूहों और पाकिस्तानी सेना के हाथों की कठपुतली बनने पर मजबूर कर दिया है। इसके कारण किसी भी संकट से निबटने में सरकार की असफलता सामने आई है। इस असफलता ने सरकार की स्वयं की वैधता पर प्रश्न खड़ा कर दिया है।

वर्तमान परेशानियां चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन के कारण पैदा हुई हैं। निर्वाचन अधिनियम, 2017 में एक संशोधन चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिये जानेवाले शपथ से सम्बंधित था। ये संशोधन उम्मीदवारों के पैंगबर मुहम्मद (ख़त्म-ए-नबूवत) के प्रति आस्था से जुड़ा था। हालांकि ये ग़ैर-मुस्लिम उम्मीदवारों पर लागू नहीं था। इस संशोधन का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ और संसदीय नेताओं ने फैसला लिया कि उस अनुच्छेद में बिना कोई संशोधन किए शपथ पत्र के मूल स्वरूप को अपरिवर्तित रखा जाए।

दूसरी ओर, धार्मिक समूहों ने इस लिपिकीय त्रुटि को जानबूझकर इस्लाम को नीचा दिखाने का आरोप लगाया और कानून मंत्री जाहिद हामिद को हटाने की मांग की। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह (टीएलवाई), तहरीक-ए-खत्म-ए-नबुव्वत तथा सुन्नी तहरीक पाकिस्तान (एसटी) जैसे धार्मिक संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने फैजाबाद इंटरचेंज पर कब्जा कर लिया तथा बीस दिनों से अधिक समय तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पंगु बना दिया।

धरने के प्रारम्भिक दिनों में (जब ये छोटे स्तर पर था) सरकार या तो इसे खत्म करने या फिर मध्स्थता करने में असफल रही। अदालतों का भी रुख स्पष्ट था कि दो शहरों को इस तरह मुश्किलों में डालना नागरिक अधिकारों का हनन है, तथा सरकार को तुरंत इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। दरअसल सरकार बल प्रयोग को लेकर सांसत में थी, क्योंकि उसे डर था कि किसी भी कार्रवाई से 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद जैसी घटना दोहराया जा सकता है, जो सत्ता से जनरल मुशर्रफ की बेदखली की एक वजह बनी थी। संकट की वर्तमा स्थिति में सरकार ने मुल्लाओं, जानकारों और प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बात की, लेकिन इसे हल करने में असफल रही। प्रदर्शनकारी अपने मन-मुताबिक कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कमजोर कोशिशें कीं, लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई भी जरूरी कदम उठाना चाहिए। अदालत ने कड़ाई से कह दिया कि आदेश का पालन न करने पर आंतरिक मंत्री एहसान इकबाल के विरुद्ध अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है।

25 नवंबर की सुबह तक प्रदर्शनकारियों को एक समय सीमा दे दी गई। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर बुलेट के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया। इससे फैजाबाद इंटरचेंज लगभग एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। इसके कारण 26 तथा 27 नवंबर को पूरे देश में हिंसक वारदात हुए, जिनमें कम-से-कम छह लोग मारे गए तथा सुरक्षाकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) सरकार ने लोगों को हटाने में पंजाब रेंजर्स के साथ सेना से स्थानीय सुरक्षाकर्मियों की मदद करने को कहा। परन्तु, सेना ने बल प्रयोग से इनकार कर दिया तथा इसके बजाए राजनीतिक तरीके से हालात के समाधान पर जोर दिया।

सेना के एक वार्ताकार के साथ सरकार प्रदर्शनकारियों से समझौता करने को मजबूर हुई तथा प्रदर्शन समाप्त करने के लिए उनकी कई मांगों को मानना पड़ा। सरकार को कानून मंत्री जाहिद हामिद को हटाने पर भी राजी होना पड़ा। इसके साथ ही गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को छोड़ने के अलावा 30 दिनों के अंदर राजा जफरुल हक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने (20 दिसंबर तक) की मांग भी सरकार को स्वीकार करनी पड़ी। सरकार इस पर भी राजी हुई कि टेक्स्ट बुक बोर्ड में परिवर्तन के लिए गठित पैनल में तहरीक-ए-लबैक के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। समझौते के दस्तावेजों में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा तथा उनकी टीम के उन'विशेष प्रयासों' को प्रमुखता से जगह देनी पड़ी, जिनकी वजह से प्रदर्शनकारियों के साथ समझौते सफल हुए।

पूरे प्रकरण के दौरान इस आग को राजनीतिक विरोधियों ने भी भड़काया ताकि पीएमएल-एन की देशव्यापी स्थिति और 2018 के आम चुनावों में इसकी उम्मीदें कमजोर की जा सकें। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिष्ठान को बचाने में पाकिस्तानी सेना एक उद्धारक के तौर पर सामने आई, जिस पर न्यायपालिका ने भी सवाल उठाए हैं।

इन घटनाक्रमों ने अतिवादी धार्मिक समूहों को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया है, जिनसे पाकिस्तान में उदारवादी माहौल के लिए खतरा पैदा हो गया है। 'ईशनिंदा' के लिए जुनूनी चरमपंथी बरेलवी समूहों को इस असफलता के कारण राजनीतिक और सामाजिक फायदा पहुंचा है। इन समूहों का उत्थान तो फरवरी 2016 से ही शुरू हो गया था जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी मुमताज कादरी को फांसी देने के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए थे। ईशनिंदा की आरोपी आसिया बीबी के समर्थन तथा ईशनिंदा कानून के विरोध में बोलने के कारण कादरी ने सलमान की हत्या कर दी थी। ऐसे विरोधों के बाद हमेशा अराजकता, हिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं होती रही हैं। बरेलवी समूहों ने मार्च 2017 में प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए कादरी की बरसी मनाई थी तथा उसे शहीद बताया था। ये समूह देश के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बेहद शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखता है, विशेषकर, अहमदी पंथ जो पूरे पाकिस्तान में शरीयत लागू करने की मांग करता है। इसका उद्देश्य है पैंगबर की पवित्रता को बरकरार रखना (पीबीयूएच) तथा ईशनिंदा करने वालों को मौत की सजा देना।

पीएमएल-एन सरकार ने पहले तो इस संकट को उभरने दिया तथा बाद में हर स्तर पर इसे बढ़ने भी दिया। इस पूरे प्रकरण के अंत तक, जब सरकार ने अदालत के आदेश को आधार मानते हुए फैजाबाद से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया, योजना की कमी तथा लचर खुफिया जानकारी का खुलासा हो गया। राजनीतिक विरोधियों ने भी क्षुद्र सियासी कारणों तथा विनाशकारी जीत के लिए संकट को भड़काया। सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई तथा विरोध समाप्त करने के कारण आम लोगों के बीच सैन्य नेतृत्व विश्वास कायम करने में सफल रहा। 1 दिसंबर को ये धरना उस समय समाप्त हुआ जब पंजाब के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह को भी उनके पद से हटाया गया। ये टीएलवाई की भी मांग थी जिसे उसने बाद उठाया था।

पूरे धरना के दौरान सेना की भूमिका तथा उसकी मध्यस्थता के तरीके को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय नाराज था। मुख्य न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि देश की कार्यपालिका का अंग होने के कारण सेना संविधान से मिले अधिकारों से परे नहीं जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे एक धारणा बनती है कि सभी मुश्किलों के समाधान के लिए सेना रामबाण की तरह है। उन्होंने बाद में अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ को कहा कि संवीक्षा के लिए वो विवादित समझौते को संसद के संयुक्त सत्र या केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखें। अदालत ने

समझौते को प्रदर्शनकारियों के सामने केंद्रीय सरकार का आत्मसमर्पण माना और उनके विरुद्ध दर्ज एफआइआर की एकतरफा वापसी पर हैरानी भी जताई।

इस पूरे हालात के लिए सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ भारत की खुफिया संगठनों को भी जिम्मेवार ठहराया। नेतृत्व तथा दूरदर्शिता के अभाव और धार्मिक चरमपंथी समूहों को दी गई बेलगाम ताकत से पाकिस्तान की लोकतांत्रिक राजनीति कमजोर हो गई है, जो दक्षिण एशियाई इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

***

* *डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।*
डिस्क्लेमरः उपरोक्त विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।